न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 519/2018 निर्णय दिनांक :–19.03.19

उनवानी :–

1. तेजमल पुत्र उदाराम जाति खटीक उम्र 33 वर्ष निवासी रावतामाताजी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

–प्रार्थी–

बनाम

1. सोजीराम पुत्र नाथू जाति खटीक उम्र 48 वर्ष निवासी रावतामाताजी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
2. रामेश्वर पुत्र नाथू जाति खटीक उम्र 50 वर्ष निवासी रावतामाताजी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
3. रघुवीर पुत्र स्व0 जमना लाल जाति खटीक उम्र 45 वर्ष निवासी रावतामाताजी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
4. रामकुवार पुत्र स्व0 जमना जाति खटीक उम्र 48 वर्ष निवासी रावतामाताजी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
5. रामदेव पुत्र भूरा जाति खटीक उम्र 65 वर्ष निवासी रावतामाताजी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
6. प्रभू पुत्र भूरा जाति खटीक उम्र 62 वर्ष निवासी रावतामाताजी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
7. नाथू पुत्र भूरा जाति खटीक उम्र 70 वर्ष निवासी रावतामाताजी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
8. उदा पुत्र भूरा जाति खटीक उम्र 65 वर्ष निवासी रावतामाताजी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
9. राजस्थान राज्य, जरिये जिला कलेक्टर, टोंक राजस्थान
10. तहसीलदार, तहसीलदार देवली जिला टोंक, राजस्थान
11. अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, बिसलपुर परियोजना देवली जिला टोंक राजस्थान
12. लक्ष्मण पुत्र रामपाल जाति बैरवा उम्र 27 वर्ष निवासी बडोदिया तहसील कोट खावूदा जिला जयपुर राजस्थान

13. मनोज दूबे पुत्र अवधेश दूबे जाति ब्राह्मण उम्र 53 वर्ष निवासी एस बी 112 लाल कोठी बापू नगर, टोंक रोड, जयपुर राजस्थान
14. आरती दूबे पत्नि मनोज दूबे जाति ब्राह्मण उम्र 53 वर्ष निवासी एस बी 112 लाल कोठी बापू नगर, टोंक रोड, जयपुर राजस्थान

—अप्रार्थीगण—

उपस्थिति :—
श्री बी.एल. मीणा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री एम.एस. राठौड़
अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के दादा स्व0 भूरा पुत्र नन्दा के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं0 876 रकबा 1.03 है0 वाके तनग्राम रावता पटवार हल्का सिरोही तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। प्रार्थी के दादा की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का विरासत का नामान्तरण अप्रार्थीगण न0 5 ता 8 एवं अप्रार्थीगण न0 3 ता 4 के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खोला गया गया था। प्रार्थी के दादा की उक्त खातेदारी भूमि अप्रार्थीगण न0 5 ता 8 व 3 ता 4 के पिता स्व0 जमनालाल का बराबर—बराबर हिस्सा मोके पर था और उक्त बराबर हिस्सेनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में नाम बतौर खातेदारी दर्ज था। अप्रार्थीगण न0 5 ता 8 व 3 ता 4 के पिता स्व0 जमनालाल अनपढ थे एवं राजस्व रिकॉर्ड का ज्ञान नही रखते थे। अप्रार्थीगण न0 1 ने वादी के पिता अप्रार्थीगण न0 8 व अप्रार्थीगण न0 5, 6, 7 व अप्रार्थीगण न0 3 ता 4 के स्व0 पिता जमनालाल को अपनी भूमि का बंटवारा करने के लिये कहा और सभी का बराबर हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में करवाने की बात कहकर घर पर ही दिनांक 26.02.2007 को बंटवारे के फर्जी कागजात तैयार कर हस्ताक्षर करवा लिये। अप्रार्थीगण न0 1 ने तत्कालीन हल्का पटवारी से सांठ—गांठ कर उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि में अप्रार्थीगण न0 1 के पिता अप्रार्थीगण 07 के नाम ज्यादा रकबा 0.31 है0 व अन्य सहखातेदार प्रतिवादीगण न0 3 ता 4 के पिता व अप्रार्थीगण न0 5, 6, व 8 के नाम कम रकबा 0.18 है0 प्रत्येक के नाम बंटवारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया। अप्रार्थीगण न0 3 ता 4 के पिता व 5 ता 8 कभी भी अप्रार्थीगण न0 10 के पास तहसीदार कार्यालय देवली में उपस्थित नही हुये और उक्त बंटवारेनामे हल्का पटवारी से सांठ—गांठ कर स्वंय की कर लिये और राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी से दिनांक 12.04. 2007 को उक्त संयुक्त आराजीयात का बंटवारा अप्रार्थीगण 10 से अप्रार्थीगण नं0 5, 6, 8 की

जानकारी के बिना ही करवा लिया, जिनकी जानकारी भी गवाहान को नही है। अप्रार्थीगण न0 1 ने आज दिन तक अन्य सहखातेदारान को कभी नही कहा कि अप्रार्थीगण न0 7 के नाम रकबा बंटवारे में ज्यादा करवा लिया। अप्रार्थीगण न0 3 ता 4 व अप्रार्थीगण न0 5 ता 8 मोके पर बराबर हिस्से पर कब्जा करते आ रहे थे। अप्रार्थीगण न0 1 द्वारा अप्रार्थीगण न0 7 के नाम से दिनांक 08.02.2007 को एक 50 रूपये का स्टाम्प क्रय कर फर्जी बंटवारानामा हल्का पटवारी से सांठ–गांठ कर तैयार करवाकर अप्रार्थीगण न0 3 ता 4 के पिता व 5 ता 8 की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मं बंटवारे का नामान्तरण खुलवा लिया। अप्रार्थीगण न0 7 के नाम खसरा न0 876 रकबा 0.31 है0, अप्रार्थीगण न0 3 ता 4 के पिता स्व0 जमनालाल के नाम खसरा नं0 876/1 रकबा 0.18 है0, अप्रार्थीगण न0 5 क नाम खसरा न0 876/2 रकबा 0.18 है0, अप्रार्थीगण न0 6 के नाम खसरा न0 876/4 रकबा 0.18 है0, वादी के पिता अप्रार्थीगण न0 8 के नाम खसरा न0 876/3 रकबा 0.18 है0 का बंटवारा करवा दिया। अप्रार्थीगण न0 1 ता 2 ने अप्रार्थीगण न0 7 के नाम करवाई ज्यादा रकबे की भूमि का दान पत्र स्वंय के नाम करवा लिया और दिनांक 28.08.2018 को उक्त गलत रूप से करवाये गये बंटवारे से प्राप्त की गई भूमि को अप्रार्थीगण न0 12 को विक्रय कर उपपंजीयक कार्यालय देवली में अप्रार्थीगण न0 12 के नाम पंजीयन करवा दिया। अप्रार्थीगण न0 12 उक्त विक्रय पत्र दिनांक 28.08.2018 के जरिये खसरा न0 195, 196 की भूमि का नामान्तरण स्वंय के नाम खुलवाने पर आमादा है। मोके पर नाप चोक से वादी की जानकारी हुई कि अप्रार्थीगण न0 1 द्वारा हल्का पटवारी से सांठ–गांठ कर दिनांक 07.08.1995 को राज्य सरकार द्वारा बीसलपुर परियोजना के एप्रोच चेनल एवं हेड रेगूलेटर के निर्माण हेतु दायी मुख्य नहर के उपयोग के लिये अवाप्त की गई भूमि में वादी के हिस्से को गलत रूप से बंटवारे में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर अप्रार्थीगण न0 1 ता 2 व 12 14 उक्त खसरा न0 195, 196 का मोके पर नाप चोक करवाकर प्रार्थी को मोके से बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थी के हिस्से में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये गये खसरा न0 198 वर्तमान में दायी नहर व आम रास्ता है। जबकि दांयी मुख्य नहर व आम रास्ते में उपयोग भूमि के बाद से शेष बची भूमि में एवं अप्रार्थीगण न0 1 ता 2 के पिता व 3 ता 4 के पिता व अप्रार्थीगण न0 5 व 6 बराबर हिस्सों में काबिज काश्त थे। अप्रार्थीगण न0 1 ता 2 व 12 ता 14 व अप्रार्थीगण न0 5 ता 6 उक्त खसरा न0 195, 196, 194, 197 का मोके पर नाप चोक करवाकर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण न0 1 व 12 ता 14 मोके पर जेसीबी मशीन लेकर आये और प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि की मेढ तोडकर प्रार्थी की भूमि को अप्रार्थीगण न0 5 ता 6 की भूमि में मिलाने पर आमादा हुये और अप्रार्थीगण न0 5 ता 6 को प्रार्थी की भूमि में कब्जा सुपुर्द करने में आमादा हुये वादी व अप्रार्थीगण न0 8 द्वारा मोके पर अप्रार्थीगण न0 1 ता 2 व 12 ता 14 को मना करने पर प्रार्थी से लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये और प्रार्थी को गाली गलोच कर

कहा कि जमीन दांयी मुख्य नहर में जा चुकी है। इस कारण प्रार्थी को बेदखल करेंगे। इस कारण प्रतिवादीगण न0 1 ता 7 व 12 ता 14 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे स्वंय जरिये नोकर चाकर, दिगर पारिवारिक सदस्य के प्रार्थी को मूल खसरा न0 876 हाल खसरा न0 194, 195, 196, 197, 198 में से हिस्सा बराबर व मोके पर काबिज काश्त अनुसार बेदखल नही करें, एवं पाबन्द रहें एवं अप्रार्थीगण न0 10 को भी जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे दिनांक 28.08.18 को अप्रार्थीगण न0 1 ता 4 द्वारा विक्रय की गई भूमि का नामान्तरण अप्रार्थीगण न0 12 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नही खोले एवं पाबन्द रहें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 5, 6 ने जवाब में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। अधिवक्ता एम. एस. राठौड़ ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 व 7 की ओर जवाब पेश किया जिसमें चरण 2 की स्वीकार किया, शेष चरणो को अस्वीकार करते हुए बताया कि आपसी सहमति से दिनांक 26.02.07 को विधिवत बंटवारा सद्भावनापूर्व कर समक्ष गवाहान अपने हस्ताक्षर कर सरपंच राजमहल के समक्ष प्रस्तुत कर तहसीलदार देवली के यहां उपस्थित होकर बंटवारा किया था ख. नं. 876 कुल रकबा 1.03 है0 एवं शेष अन्य सहखातेदारो को 0.18 है0 प्रत्येक को विधिसम्मत तरीके से देकर कुर्रेजात रिपोर्ट बनाकर बंटवारा किया था और उसी बंटवारे के अनसार ही तत्कालीन सहखातेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज–काश्त रहे। उक्त हिस्से में से उदा पुत्र भूरा अप्रार्थी संख्या 8 का हिस्सा 0.18 है0 तनग्राम रावता में हिस्सा दिया गया था जिसके हाल ख. नं0 198 रकबा 0.18 है0 है जिसको अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा प्रार्थी को जरिए दानपत्र बेचान कर दिया जिसका नान्तकरण संख्या 86 दिनांक 07.08.2018 को प्रार्थी के पक्ष में खोला जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद है और प्रार्थी ख. नं. 198 रकबा 0.18 है0 पर काबिज काश्त है। इसलिए उक्त आराजीयात के अलावा अन्य किसी आराजीयात पर कोई वैधानिक हक, हकूक व अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त बंटवारे के अनुसार आये हिस्से के मुताबिक अप्रार्थीगण नं. 1 ता 4 व 7 अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज–काश्त है। दिनांक 28.08.2018 को जरिए विक्रय पत्र ख. नं. 195 व 196 का बेचान विधिवत तरीके से बंटवारे में आये हिस्से का अप्रार्थी संख्या 12 को किया गया है जिसका विक्रय पत्र तहसीलदार देवली के यहां निष्पादित किया गया है। प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नं. 198 रकबा 0.18 है0 तनग्राम रावता जमीन जरिये दानपत्र अप्रार्थी संख्या 8 से क्रय कर खातेदार बना है जो इस खसरा नम्बर के अलावा अन्य खसरा नम्बर 194, 195 196, 197 के खातेदारो के खिलाफ किसी तरह की कोई कानूनी कार्यवाही करने का अधिकर प्राप्त नहीं है। रहन, दान, बेचान करने पर पाबंद करने का व उनके कब्जे–काश्त में मजामहत करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र अवैध तरीके से प्रस्तुत किया है जिसके मय हर्जा–खर्चा खरिज फरमाया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष से बहस सुनी। अधिवक्ता वादी ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 7 ने जवाब के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। संलग्न जमाबंदी संवत 2055–58 व 2051–54 व 2059–62 में ख. नं. 876 रकबा 1.03 है0 वादी तथा प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा दिनांक 12.04.07 का तहसीलदार द्वारा किया हुआ सहमति विभाजन की छायाप्रति संलग्न है तथा 50 रूपये के स्टाम्प पर बंटवारानामा की छायाप्रति भी संलग्न है जिसमें दोनो पक्षकारान के पूर्वजो के हस्ताक्षर तथा गवाहो के हस्ताक्षर है। पूर्व में तहसीलदार देवली के द्वारा किये गये बंटवारे को चैलेंज किया गया है जिसमें विस्तृत विवेचन दावे की मेरिट पर किया जा सकेगा किन्तु वर्तमान स्थिति के विवेचन पर अस्थायी निषेधाज्ञा का जारी रहना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 19.03.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली